अनुदान संख्या 73 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 73–MINISTRY OF POWER

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2103,87,00	2455,60,00	2133,34,61	–322,25,39
पूरक	Supplementary	351,73,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				314,73,86
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2637,60,00	2637,61,00	2233,86,09	–403,74,91
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				403,78,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (32225.39 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 35173.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 92 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.32225.39 lakhs) constituted 92 percent of the supplementary grant of Rs.35173.00 lakhs obtained in December, 2004 and 13 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5000.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2801" बिजली	Major Head "2801" Power					
मू.	O.	204326.00				
पू.	S.	35173.00		213052.02	212330.11	–721.91
पु.	R.	–26446.98				

(I) 7300.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 7250.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें"- 5000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2801" - "सामान्य"-

(क) "प्रशिक्षण - वितरण सुधारों संबंधी प्रशिक्षण आवश्यकता"- 500.00 लाख रु.;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - प्रौद्योगिकी अंतरण ग्रामीण विद्युतीकरण पूर्ति प्रौद्योगिकी मिशन"- 750.00 लाख रु.; और

(ग) "अन्य व्यय - बिना बिजली वाले ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण"- 1000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्थायी वित्त समिति और योजना आयोग द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2801" - "ताप विद्युत उत्पादन - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र - प्रचालन तथा अनुरक्षण" के अंतर्गत 103809.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 35172.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 138981.00

(I) Provision of Rs.7300.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.7250.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(A) Major Head "2552" – "Other Expenditure-Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.5000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the functional heads for the utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2801" – "General" -

(a) "Training - Training requirement for distribution reforms" - Rs.500.00 lakhs;

(b) "International Cooperation - Transfer of Technology Rural Electrification Supply Technology Mission" - Rs.750.00 lakhs; and

(c) "Other Expenditure - Survey of Rural Areas without electricity" - Rs.1000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non approval of the schemes by the Standing Finance Committee and Planning Commission.

(II) Under Major Head "2801" – "Thermal Power Generation – Badarpur Thermal Power Station – Operation and Maintenance" – the original provision of Rs.103809.00 lakhs was augmented to Rs.138981.00 lakhs by obtaining

लाख रु. कर दिया गया, यद्यपि, जो बिजली की बिक्री से संबंधित दिल्ली ट्रांस्को लि. से कम वसूली होने और उसके परिणामस्वरूप बदरपुर ताप विद्युत केंद्र के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कम राशि का दावा किए जाने के कारण 5020.68 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) "पनबिजली उत्पादन - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण"- 5017.82 लाख रु. की बचत (6047.32 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई पनबिजली परियोजनाओं पर विस्तृत परियोजन रिपोर्ट तैयार करने संबंधी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "ताप विद्युत उत्पादन - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण"- 1090.03 लाख रु. की बचत (1372.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 1000000 एम डब्ल्यु पर्यावरण अनुकूल ताप प्रवर्तित एफआर तैयार किए जाने की स्कीम को स्थायी वित्त समिति और योजन आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - गरीबों के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण"- 5000.00 लाख रु. की बचत (25000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलन में) इस स्कीम का विलय नई स्कीम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजन में कर दिए जाने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य"-

(क) "अनुसंधान और विकास - केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान"- 106.21 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलन में) वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार स्वायत्तशासी निकायों को दी जाने वाली सहायता अनुदान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग"-

(i) "एपीडीआरपी परियोजना के लिए परामर्शी प्रभार"- 125.10 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के

supplementary grant of Rs.35172.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5020.68 lakhs - due to less realisation from Delhi Transco Ltd. on account of sale of power and consequently claimed less amount required for operation and maintenance of Badarpur Thermal Power Station.

(III) Under major head "2801" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Hydel Generation – Direction and Administration - Central Electricity Authority" - saving of Rs.5017.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6047.32 lakhs) was due to non approval of the scheme for preparation of detailed project reports on New Hydel Projects by the competent authority.

(B) "Thermal Power Generation – Direction and Administration - Central Electricity Authority" - saving of Rs.1090.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1372.70 lakhs) was due to non approval of 1000000 MW Environment Friendly Thermal initiated preparation of FRs - scheme by the Standing Finance Committee and Planning Commission.

(C) "Rural Electrification - Other Expenditure- Rural Electrification for poor Kutir-jyoti Programme" - saving of Rs.5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25000.00 lakhs) was due to merger of the scheme in new scheme Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Pariyojana.

(D) "General –

(a) "Research and Development - Central Power Research Institute" - saving of Rs.106.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to reduction of grant-in-aid to autonomous bodies as per instructions of Ministry of Finance.

(b) "International Cooperation" -

(i) "Consultancy charges for APDRP project"- saving of Rs.125.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs)

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं की नियुक्ति पावर ग्रिड कारपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम आदि से किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''मूल्यांकन अध्ययन और परामर्श संबंधी प्रौद्योगिकी निधियों के लिए अंतरण''- 377.71 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से कम व्यय होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय''-

(i) ''केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण''- 2678.64 लाख रु. की बचत (6208.42 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर-वेतन मदों पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने और साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के अनुमोदन एवं परामर्शदाता की नियुक्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''विद्युत वित्त निगम लिमिटेड''- 5000.00 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) ''केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग''- 309.95 लाख रु. की बचत (955.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 79.26 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (40378.00 लाख रु.) 40374.91 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

was due to appointment of consultants from Power Grid Corporation, National Thermal Power Corporation etc.

(ii) “Transfer for Technology funds for Evaluation Studies and Consultancy” - saving of Rs.377.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to less expenditure owing to late approval of the scheme.

(c) “Other Expenditure” -

(i) “Central Electricity Authority” - saving of Rs.2678.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6208.42 lakhs) was due to cut imposed by Ministry of Finance on non-salaried items, delay in finalisation of training programme of National Power Training Institute and approval of procurement of software and appointment of Consultant.

(ii) “Power Finance Corporation Limited” - saving of Rs.5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from various State Electricity Boards.

(iii) “Central Electricity Regulatory Commission” - saving of Rs.309.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.955.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) Under one head saving of Rs.79.26 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.40378.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.40374.91 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	87907.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–87907.00			
मुख्य शीर्ष "4801" बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	175853.00			
पू.	S.	1.00	223383.00	223386.09	+3.09
पु.	R.	47529.00			

(I) 87907.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.87907.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Other Expenditure - Projects / Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of part funds to the functional heads for the utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" - "संचरण तथा वितरण - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड" के अंतर्गत 17000.00 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैगा 3 और 4, टिहरी (आरसीई), टला की पारेषण प्रणाली की स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4801" – "Transmission and Distribution - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Power Grid Corporation of India Ltd." - saving of Rs.17000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) were due to non-approval of the schemes of transmission system of Kaiga 3 & 4, Tehri (RCE), Tala.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.91 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.65.91 lakhs occurred constituting 25 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (25718.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो

3.(I) The above savings were partly (Rs.25718.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by

गई जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''पनबिजली उत्पादन-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन'' के अंतर्गत दिसंबर, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 25723.00 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4801'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) ''पनबिजली उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय पन विद्युत शक्ति निगम''- 23940.00 लाख रु. का अधिक व्यय (114193.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत शक्ति निगम''- 14935.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December,2004 under Major Head "4801" – "Hydel Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings – Tehri Hydro Development Corporation". Actual excess, however, was Rs.25723.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4801" - under the following heads:-

(A) "Hydel Generation – Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Hydro Electric Power Corporation" - excess of Rs.23940.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.114193.00 lakhs); and

(B) "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" - excess of Rs.14935.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to the functional heads for the utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.